Phone & Fax no.0135-2431159 email: cfbhagi-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती। G20

पत्रांक -13 /12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 04/07/2023,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **जनपद टिहरी गढवाल के नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रांड गेज रेल मार्ग को विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल 02 निर्माण हेतु 1.66 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 टिहरी गढवाल को प्रत्यावर्तन। संख्या-(FP/UK/TRANS/154613/2022)**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-8बी/यू0सी0पी0/04/65/2022/एफ0सी0/870, दिनांक 23.09.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती का पत्रांक-3433/12-1, दिनांक-14.06.2023,।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रश्नगत मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The reason for not including this proposal in the initial original proposal shall be submitted.	**बिन्दु संख्या-01** के क्रम में अवगत कराया गया है कि मूल प्रस्ताव निर्माण की समयावधि के दौरान प्रस्तावक विभाग के पास कोई परियोजना प्रबन्धन परामर्शदात्री संस्था (PMC),(DDC) कार्यरत नहीं थी तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण के पास परामर्शदात्री संस्था के नामांकन के उपरान्त उनके द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करने पर ट्रांसमिशन लाईन के क्रियान्वयन हेतु सुझाव दिये गये इस कारण पूर्व में मूल प्रस्ताव में विषयगत प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया है।
2	Details of all the Components i.e. tower shall be mentioned at para B 2.4 in part I.	**बिन्दु संख्या-02** के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के भाग-1 के पैरा-2.4 में वांछित सूचना अंकित कर दिया गया है।
3	Date shall be mentioned on the proceedings of the SDLC meeting.	**बिन्दु संख्या-03** के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के भाग-1 के पैरा-K(a) में उप जिलाधिकारी स्तरीय समिति में दिनांक अंकित कर अपलोड कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न-01)**

ह.

4	Proceedings of the Village Level Committee (VLC) meeting of Village 'Gular' are not uploaded However, the same could be submitted prior to the Stage-II approval.	बिंदु संख्या-04 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन 03 ग्रामों (चमेली, तिमली एवं बवाणी) से होकर गुजरती है जिस कारण गूलर ग्राम की समिति का विवरण अपलोड नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया है कि परियोजना का शीर्षक, पास के प्रसिद्ध क्षेत्र क मध्येनजर गूलर से शिवपुरी रखा गया है।
5	The total length of the project is 260 meters. the width in forest land required for the project is proposed in the range of 1m. to 50 m. As per the guidelines the width of Right of way for 33 kv transmission lines is to be considered as 15m. Hence, State Government is requested to submit the justification for the same and the user agency revise the requirment of width in forest land to a minimum requirement of 15m. The number of trees affected. CA area etc. shall also be revised accordingly and uploaded at designated places.	बिंदु संख्या-05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के प्रारूप-15 लैण्ड शैड्यूल में प्रस्तावित लंबाई 8400 मीटर अंकित है और संरेखण के दौरान चौड़ाई 2 मीटर रखी गई है। जिसके अवलोकन हेतु प्रारूप-15 लैण्ड शैड्यूल की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है। <u>(संलग्न-02)</u>
6	Total 555 trees are proposed to be affected. However, it is mentioned in ??? 21 that no tree felling shall be involved in the proposal, State Govt. is requested to submit a list of the trees proposed for lopping separately.	**बिंदु संख्या-06** के अनुपालन में अवगत कराना है कि ट्रांसमिशन लाईन के नीचे/समीप आने वाले वृक्ष, जिनकी लौपिंग की जानी है, की सूची ऑन लाईन परिवेश पोर्टल मे अपलोड कर दी गयी है तथा प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न-03)**
7	As per the DSS analysis of CA area, 01 ha area is found to be MDF. DFO shall inspect the area and submit Site Inspection Report & if the area is found suitable for planting 1000 Trees a certificate mentioning that 1000 Trees per hectare can be accommodated in the said area shall be submitted by the DFO. If not, than the area shall be replaced by same other area suitable for raising CA.	**बिंदु संख्या-07** के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त परियोजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पुनः नवीन क्षेत्र का चयन शिवपुरी राजि के ब्रह्मपुरी कक्ष0-05 (3.36 हे0) में किया गया है तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित क्षतिपूरक वनीकरण योजना, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं टोपोशीट तथा डिजिटल मैप की मूल प्रतियां संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न-4)**
8	Administrative approval is not found uploaded. State Govt. is requested to submit the administrative approval of the project.	**बिंदु संख्या-08** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसे मय संलग्नकों के प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्न-5)**

<u>संलग्न- उपरोक्तानुसार :-</u>

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक
30/6/23

<u>संख्या:- 13 / 12-1 दिनांकित।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> प्रभागीय वनाधिकारी, ~~नरेन्द्रनगर~~ वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक
30/6/23